कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-mail:nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक– 1153 / FP/UK/ROAD/49632/2020:देहरादूनः दिनांकः 31 अक्टूबर, 2022

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र),
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– जनपद उत्तरकाशी में मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना के अर्न्तगत विकास खण्ड़ भटवाड़ी में भल्ड़ियाना लम्बगांव उत्तरकाशी मोटर मार्ग से जसपुर सिल्याणा निराकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.125 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र), देहरादून का पत्र सं0–08बी/यू0सी0पी0/06/57/2021/एफ0सी0/352, दिनांकः–13–07–2020।

महोदय,

भारत सरकार, के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या वन संरक्षक भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड़ मुनिकीरेती के पत्र संख्या–725/12–1 दिनांक 10–10–2022 एवं प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी के पत्र दिनांक–02.09.2022 (प्रति संलग्न) द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई सूचना निम्न प्रकार प्रेषित हैः –

क्र. सं.	शर्तो/प्रतिबन्धों का विवरण	अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी।	वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड़ मुनिकीरेती के पत्र संख्या–725/12–1 दिनांक 10–10–2022 एवं प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी के पत्र दिनांक–02.09.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि शर्त संख्या–01 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राजकीय वन विभागक द्वारा वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौपी जाएगी।	वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड़ मुनिकीरेती के पत्र संख्या–725/12–1 दिनांक 10–10–2022 एवं प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी के पत्र दिनांक–02.09.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि शर्त संख्या–02 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा राजकीय वन विभाग द्वारा परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3	प्रतिपूरक वनीकरण	
क	वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 4 4.60 है0 सिविल सोयम वन भूमि ग्राम गोरसाडा खसरा संख्या–1961 रकवा 2.230 है0 तथा ग्राम मट्टी खसरा संख्या 3285 रकवा 2.21 है0 मे प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहां तक व्यवहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियो की एकल प्लांटेशन से बचे।	वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड़ मुनिकीरेती के पत्र संख्या–725/12–1 दिनांक 10–10–2022 एवं प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी के पत्र दिनांक–02.09.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि शर्त संख्या–02 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा 4.25 है0 गैरवानिकी भूमि के सापेक्ष ग्राम मट्टी में खसरा सं0–3285 रकवा 2.086 है0 तथा ग्राम गोरसाडा मे खसरा नं0 1961 रकवा 1.991 है0 भूमि एवं ग्राम मट्टी में खसरा नं0 3284 म0 रकवा 0.173 है0 भूमि प्रतिपूरक वनीकरण हेतु रू0 15,76,334.00 धनराशि वन विभाग द्वारा मांग की गयी थी, उत्तरांचल कैम्पा के खाता संख्या–150896149632075 यूनियन बैंक, लोदी कॉम्पलैक्स ब्रांच, नई दिल्ली में जमा कर दी गयी है।(संलग्न–01)

ख	गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपांतरित किया जायेगा। भूमि के हस्तांतरण, नामान्तरण एवं नोटिफिकेशन करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। गाईड लाईन पैरा 2.4 (iv) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है, को वन विभाग पक्ष में हस्तांतरण एवं नामांतरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड मुनिकीरेती के पत्र संख्या-725/12-1 दिनांक 10-10-2022 एवं प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी के पत्र दिनांक-02.09.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त संख्या-3 के अनुपालन में गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किया जा चुका है।(खतौनी की नकल तथा जिलाधिकारी, उत्तरकाशी के आदेश की छायाप्रति) **(संलग्न-02 व 03)** **उक्त सिविल सोयम भूमि को संरक्षित वन घोषित करने हेतु अधिसूचना का ड्राफ्ट तैयार कर प्रेषित है। संलग्न-04**
ग	वन मण्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	इस शर्त के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते है।	शर्त संख्या-04 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सीमांकन हेतु रू0 14,14,500.00 की धनराशि ई-चालान के माध्यम से जमा कर दिया गया है। **(संलग्न-6)**
5	**शुद्ध वर्तमान मूल्य**	
क	इस सम्बन्ध में भारत के मा0 सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ.सी. (Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशा-निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 2.125 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिये शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके रख रखाव हेतु शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि रू0 13,96,125.00 मात्र की धनराशि उत्तरांचल कैम्पा के खाता संख्या-150896149632075 यूनियन बैंक, लोदी कॉम्पलैक्स ब्रांच, नई दिल्ली में जमा कर दी गयी है। **(संलग्नक-01)**
ख	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा देय होगा।**(संलग्न-7)**
6.	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ो की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 102 sapling तथा 278 Trees से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ो की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त का अनुपालन किया जाएगा।
7.	गाईडलाईन्स में दिए गए दिशा-निर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को	इस शर्त के अनुपालन प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा किया जाएगा।

04

	प्रेषित करेगी। साथ ही राजय सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नही की जाएगी।	
8.	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतति/जमा किया गया।
9	एफ0आर0ए0, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	इस शर्त के अनुपालन में एफ0आर0ए0, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित कर दिया जाएगा। (संलग्नक–08)
10	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों से निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएगें।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
11	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	इस शर्त के अनुपालन में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
12	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आई0आर0सी0 मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त संख्या–12 के अनुपालन में शर्त अनुमन्य है।
13	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव को ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	इस शर्त के अनुपालन में केन्द्र सरकार के पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नही बदला जाएगा।
14	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से प्राप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से पर्याप्त लकड़ी विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।
15	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा रू0 14,14,500.00 की धनराशि ई–चालान के माध्यम से जमा कर दी गयी है।
16	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जायेगा।	इस शर्त के अनुपालन में परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जाएग।
17	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी काम हो, लक्षित किया जायेगा।	शर्त संख्या–17 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
18	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजना हेतु नही किया जाएगा।
19	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जाएगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नही की जाएगी।
20	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देश फाइल संख्या 11–42/2017 FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
21	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	इस शर्त के अनुपालन में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें मान्य

		होगी।
22.	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वनिर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
23.	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद /नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस प्रस्ताव में लागू होने वाले समस्त अधिनियम/अनुच्छेद /नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश के अधीन जरूरी अनुमति प्राप्त कर ली गई है।
24.	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in/) पर अपलोड की जायेगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन रिर्पोट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in/) पर अपलोड की जायेगी।

अतः प्रश्नगत प्रकरण में वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, मुनिकीरेती एंव प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी द्वारा प्रेषित अनुपालन आख्या के क्रम में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

31/10/22

(एस0एस0रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षणएवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण,उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या : / FP/UK/ROAD/49632/2020 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक/वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती के पत्र संख्या–725/12–1 दिनांक 10.10.2022 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।
3. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, भटवाड़ी को उक्त पत्र के क्रम में सूचनार्थ ।

(एस0एस0रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षणएवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण,उत्तराखण्ड, देहरादून।